THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The States of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan have made necessary arrangements like identification of Below Poverty Line (BPL) families and issue of special cards, constitution of Vigilance Committees etc. and implemented TPDS w.e.f. 1.6.1997.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहूं के आवंटन पर प्रतिबंध लगाया जाना

490. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं के संबंध में आमतौर पर किए जाने वाले आवंटन पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कटौती के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना उत्तरदायी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि करने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी हां।

(च) आवंटन बढ़ाने से संबंधित अनुरोध की जानकारी देने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(छ) सरकार ने अनुपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन किया है। **(देखिये परिशिष्ट 182, अनुपत्र सं० 8)**

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त आवंटन की मांग

क्रम सं०	पत्र संख्या और तारीख	राज्य का नाम	अनुरोध का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	एफ०एस०बी० 256/97/3, दिनांक 20.3.1997	असम	बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त 20,000 टन चावल। जिसकी उठान की वैधता 31 अक्तूबर, 1997 तक है।
2.	शून्य दिनांक 23.7.1997	बिहार	बाढ़ राहत के लिए जून के कोटे का प्रयोग न किया गया भाग जारी करना।
3.		दिल्ली	मई, 97 के आवंटन को बनाए रखने के लिए जून, 97 से 24,600 टन चावल और 7110 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
4.	सचिव (खाद्य और नागरिक पूर्ति) से नोट दिनांक 14.8.1997	गोवा	2500 टन चावल और 100 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
5.	अ०स० पत्र संख्या ए०एन०जे०/रेजमट० /124/94-95, दिनांक 30.7.1997	गुजरात	चावल और गेहूं की अतिरिक्त मात्रा।
6.	(1) एफ०जी०—3-97/6322 दिनांक 14.7.1997	हरियाणा	सरकारी विभाग के लिए 200 टन गेहूं के आवंटन के लिए अनुरोध।
	(2) एफ०जी०-3-97/33/आर०ए० दिनांक 8.5.97	हरियाणा	चावल और गेहूं की अतिरिक्त मांग।
7.	(1) सी०एम०एस०—97-एफ०एस०टी०-एन०डी० दिनांक 5.5.1997	जम्मू व कश्मीर	वार्षिक 1,88,000 टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन

1	2	3	4
	(2) एम०एफ०एस०टी०/1/97 दिनांक 15.7.1997	जम्मू व कश्मीर	चावल और गेहूं के कोटे की अतिरिक्त मांग।
8.	पत्र संख्या शून्य दिनांक 16.6.1997	कर्नाटक	प्रतिमाह 1,20,000 टन खाद्यान्नों के लिए अनुरोध।
9.	अ०स० पत्र संख्या 5709/डी—2/96/एफ०एड लक्षित सी०एस०डी०, दिनांक 26.8.1997	सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूर्व के स्तर पर खाद्यान्नों का आवंटन बहाल करना।	
10.	फैक्स सं० 374, दिनांक 17.7.1997	मध्य प्रदेश	भूकम्प राहत के लिए 5000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
11.		मणिपुर	केन्द्रीय निर्गम मूल्य की दरों पर प्रतिमाह अतिरिक्त 1840 टन चावल और 2590 टन गेहूं।
12.	1197/2739/पी०4223/एन०पी०-170 दिनांक 11.7.1997	महाराष्ट्र	अगस्त, 1997 से गेहूं और चावल के कोटे को बढ़ाना।
	10 (15)/277, दिनांक 30.8.1997	महाराष्ट्र	अगस्त, 1997 से गेहूं और चावल के कोटे को बढ़ाना।
13.	बी० 16011/1/97-एफ० सी० एस०/पार्ट दिनांक 30.7.1997	मिजोरम	8,000 टन चावल और 2,000 टन गेहूं के पिछले आवंटन को बहाल करना।
14.	21829/एफ०एस० एंड सी०डब्ल्यू दिनांक 4.7.1997	उड़ीसा	बाढ़/चक्रवात तबाही के लिए चावल का आवंटन।
	शून्य	उड़ीसा	सूखा राहत के रूप में जून से अक्तूबर तक पांच महीनों के लिए प्रतिमाह 28,000 टन अतिरिक्त चावल।
	शून्य	उड़ीसा	गेहूं के कोटे को 30,000 टन से बढ़ाकर 50,000 टन करना।
15.	डायरी 2773/ओ/ऐन/97, दिनांक 4.6.1997	सिक्किम	मई, 97 के 5300 टन चावल और 1100 टन गेहूं के कोटे को बहाल करना।
16.	एफ० 2(3)-एफ०एस०डी०/97, दिनांक 10.4.1997	त्रिपुरा	लेवी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को बढ़ाकर 28,400 टन करना।
	3(17)-एफ०एस०डी०/87, दिनांक 29.5.1997	त्रिपुरा	विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए 5000 टन चावल की अतिरिक्त आवंटन की मांग।
	शून्य	त्रिपुरा	1997-98 के लिए 500 टन चावल का आवंटन।
17.	अ०सं० पत्र संख्या शून्य दिनांक 5.5.1997	तमिलनाडु	मई, 1997 के आवंटन 165000 टन चावल और 22300 टन गेहूं के आवंटन के स्तर को बनाए रखना अर्थात् प्रति माह 31000 टन चावल और 22300 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
18.	329/29 एफ०डेस्क-1/97 दिनांक 2.7.1997	उत्तर प्रदेश	कुंभ मेले के लिए गेहूं का विशेष आवंटन।
19.	जी-954/एफ०एल०, दिनांक 25.6.1997	पश्चिम बंगाल	मई, 1997 के स्तर से खाद्यान्नों के आवंटन में कमी नहीं होनी चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1997 के लिए 5000 टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का अतिरिक्त आवंटन।
20.	उपलब्ध नहीं	लक्षद्वीप	मई, 1997 के आवंटन को बनाए रखने के लिए 6300 टन चावल और 500 टन गेहूं का आवंटन।
21.	अ०सं० पत्र संख्या 201/डी०सी०एस०/एल०ए० एम०/97, दिनांक 2.9.1997	पांडिचेरी	त्यौहार (ओणम) के लिए 1000 टन गेहूं का आवंटन।
	अ०स० पत्र संख्या 202/डी०सी०एस०/97 दिनांक 2.9.1997	पांडिचेरी	जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 500 टन गेहूं का आवंटन।
	अ०स० पत्र संख्या 5771/डी०सी०एस०/बी० 1/97, पी०एफ०-2, दिनांक 9.9.1997	पांडिचेरी	सितम्बर के लिए 1500 टन चावल और उसके बाद सितम्बर, 1997 से 600 टन चावल और 300 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन।
	15586/डी०सी०एम०/97/बी-1, दिनांक शून्य	पांडिचेरी	बाढ़ के लिए अतिरिक्त कोटा।